उमाशंकर आदि विरूद्ध मुरली

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 10–चार/90 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-10-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग0 10–चार/90 में पारित आदेश दिनांक 25–9–90 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक व्यवहार न्यायालय के जिस आदे ा का सहारा ले रहे हैं उसकी प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करें और विचारण न्यायालय तद्नुसार प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । आवेदक सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

6

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर.

समक्ष : व्ही0 के0 माथुर,
सदस्य.

निगरानी प्रकरण क्रमांक 5-पीबीआर/89 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-1-89 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक निगरानी 84/अ-23/88-89.

उमाशंकर पुत्र नन्दकिशोर,
निवासी ग्राम पटना खुर्द, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना.

- आवेदक

- विरुद्ध -

मुरली पुत्र चुन्नी कोल
निवासी ग्राम पटना खुर्द, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना.

- अनावेदक